न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 771–दो/2006 निगरानी – विरूद्ध – आदेश दिनांक 30–1–06 पारित व्दारा – अपर आयुक्त , ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 414/2004–05 अपील

1– प्रहलाद पुत्र बद्री धाकड़
2– रामदयाल पुत्र लालू धाकड़
निवासी ग्राम दुलारा तहसील पोहरी
जिला शिवपुरी , मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती क्रान्ति पत्नि रामस्वरूप धाकड़
ग्राम दुलारा तहसील पोहरी
जिला शिवपुरी , मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)

(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)

आ दे श

( आज दिनांक 6 – 2– 2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 414/2004–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–1–2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने नायव तहसीलदार पोहरी के समक्ष पार्श्ना पत्र प्रस्तुत कर मांग रखी कि ग्राम दुल्हारा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1237/1 रकबा 8 वीघा उसके स्वामित्व की राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है इसी से लगी भूमि सर्वे क्रमांक

1237/2 रकबा 13 वीघा 12 विसवा महिला भागरथी की , 1237 रकबा 5 वीघा 9 विसवा प्रहलादी की, सर्वे कमांक 12450 रकबा 5 वीघा 9 विसवा रामदयाल की बंदोवस्त के पूर्व दर्ज रही है किन्तु बंदोवस्त के समय नये सर्वे नंबर बनाने के दौरान स्थल परिवर्तन करके उसकी भूमि अन्य की भूमि में मिला दी गई , जिसे सुधार कर यथावत् किया जावे। नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 3/1998-99 अ-5 पॅजीबद्व किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 30-12-2002 पारित किया तथा राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार रिकार्ड दुरूस्ती के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी पोहरी ने प्रकरण कमांक 12/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-11-2004 से अपील स्वीकार की तथा सहायक बंदोवस्त अधिकारी शिवपुरी के जांच प्रतिवेदन दिनांक 31-12-93 को आदेश का अंग मानते हुये नक्शा/रकबा दुरूस्त करना निर्णीत किया। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 414/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-1-2006 से अपील अस्वीकार की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों , उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को के क्रम में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह सही है कि बंदोवस्त के पूर्व अनावेदक का रकबा 1-60 हैक्टर रहा है , बंदोवस्त के दौरान नक्शे की आकृति में कम हो हो जाने से उसने म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 89 के अंतर्गत आवेदन तहसील न्यायालय में दिया है, जिसमें कमी पाकर रकबा पूरा किया गया है। आवेदकगण की भूमि का रकबा बंदोवस्त के पूर्व दोनों का रकवा 1-14 हैक्टर एंव 1-14 हैक्टर रहा है किन्तु बंदोवस्त के दौरान त्रृटिवश दोनों का रकबा बढ़ाकर 1-60 हैक्टर एंव 1-60 हैक्टर हो गया जो पूर्व के रकवा 1-14 हैक्टर से अधिक हो गया एंव अनावेदक के रकवे से बढ़े हुये रकबे की पूर्ति होना जांच में पाया गया। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी पोहरी ने स्थल जांच के वाद आदेश

पारित करके दोनों आवेदकों का रकबा 1-14 हैक्टर एंव 1-14 हैक्टर बरावर कर दिया जिसके कारण अनावदेक के रकबे की भी पूर्ति हो जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं हुआ है। अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के प्रकरण कमांक 12/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-11-2004 तथा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 414/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-1-2006 में निकाले गये निष्कर्षो से परिलक्षित है कि दोनों ही न्यायालयों के निष्कर्ष समरूप है जिसके कारण निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती हे एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 414/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-1-2006 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर